न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 10.05.2022

अपील संख्या 2022/47

उनवान

1. राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री देवकरण, जाति गुर्जर, निवासी बोरदा, तहसील व जिला बारां (राजस्थान)
2. देवकरण पुत्र श्री नन्दलाल, जाति गुर्जर, निवासी बोरदा, तहसील व जिला बारां (राजस्थान)
   मृतक जर्ये कायमगुकाम :–
   2/1 कौशल्या बाई पत्नि स्व0 श्री देवकरण
   2/2 संजू बाई पुत्री स्व0 श्री देवकरण
   2/3 मंजू बाई पुत्री स्व0 श्री देवकरण
   2/4 सावित्री बाई पुत्री स्व0 श्री देवकरण
   2/5 रिन्कू बाई पुत्री स्व0 श्री देवकरण
   जातिगण गुर्जर, निवासीगण बोरदा, तहसील व जिला बारां (राजस्थान)

.... अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय, बारां
2. सरपंच महोदय ग्राम पंचायत तुलसां पंचायत समिति, बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री बी.एल. जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री संदीप सक्सैना पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक : 24.07.2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 41/2012/दावा निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, 92, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम बोरदा, तहसील बारां में साबिक खसरा नं. 296 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नं. 297 रकबा 2 बिस्वा कुल 2 किता रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2021 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं करने में भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा पेश किये गये दस्तावेजों पर पूर्ण भरोसा किया है, किन्तु यह कहकर दावा खारिज कर दिया कि अपीलांट ने यह दावा 88, 188 आर.टी.एक्ट में पेश किया है। जबकि उनको यह दावा धारा 136 एल.आर.एक्ट में पेश करना चाहिये था। जबकि समस्त दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि अपीलांट की 0.72 हैक्टेयर भूमि कम की गई है तथा सम्वत 2042 से 2045 के अनुसार

24/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रकबा कम दर्ज किया है जो रकबा कम दर्ज किया है उस पर अपीलांट काबिज है तथा धारा 91 एल. आर. एक्ट के नोटिस भी अपीलांट के नाम जारी किये हैं। समस्त दस्तावेज रजिस्टर्ड बयनामा पेश किये थे, अपीलांट ने अपनी साक्ष्य पी. डब्ल्यू.–1 व पी. डब्ल्यू.–2 के बयान करवाये थे किन्तु उन दोनों पर भरोसा ना करके अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई, इस प्रकार अपीलांट का मुकदमा साबित होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 27.07.2017 को इस प्रकरण में तनकीयात कायम की थी किन्तु तनकीवार निर्णय पारित नहीं कर त्रुटि की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2021 अपास्त किया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 29.03.2022 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजात का कानून के अनुसार विवेचन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे एक वाद इस आशय का पेश किया कि ग्राम बोरदा, तहसील बारां में साबिक खसरा नं. 296 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा व खसरा नं. 297 रकबा 2 बिस्वा कुल 2 किता रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा स्थित है, जो वर्ष 1983 में मांगीलाल पुत्र किशनलाल, जाति कुम्हार, निवासी चौकी बोरदा के नाम दर्ज थी। मांगीलाल पुत्र किशनलाल, जाति कुम्हार से वादी ने दिनांक 13.05.1983 को रजिस्टर्ड बेचाननामे से वादग्रस्त आराजी खरीद की थी जो वादी के पिता नन्दलाल पुत्र हीरालाल गुर्जर के नाम दर्ज हुई। नन्दलाल पुत्र हीरालाल गुर्जर के फौत होने पर फोती इन्तकाल संख्या 405 दिनांक 20.03.2020 से वादी के नाम दर्ज हुई। चूंकि इस भूमि का साबिक रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा था तथा भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियों ने नया साबिक नम्बर 296 का हाल खसरा नम्बर 497 रकबा 2.38 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 297 रकबा 2 बिस्वा का नया खसरा नम्बर 487 रकबा 0.10 हैक्टेयर कायम किया है। इस प्रकार कुल रकबा 19 बीघा 19 बिस्वा का नया रकबा 3.20 हैक्टेयर कायम करना चाहिए था। किन्तु मात्र 2.48 हैक्टेयर रकबा कायम किया गया है। इस प्रकार 0.73 हैक्टेयर रकबा कम कायम किया है तथा यह रकबा हाल खसरा नम्बर 499 किस्म बजंड रकबा 1.21 हैक्टेयर से मिला दिया है, क्योंकि वादी एवं उसके लड़के का इसी खसरा नम्बर 499 पर कब्जा चला आ रहा है। नजरी नक्शा देखने से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 499 वादी के खाते के सहारे है तथा इसके बाबत वादी व उसके लड़के राजेन्द्र के नाम धारा 91 एल. आर. एक्ट के प्रति क्रम के विधिक प्रतिनिधी तहसीलदार, बारां नोटिस जारी करते है तथा जुर्माना वसूल करते है, वादी अभी भी पुराने रकबे पर भली भांति रूप से काबिज काश्त है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती एवं लापरवाही से उसको जुर्माना देना पड़ रहा है। जिससे उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। वाद कारण दिनांक 16.03.2022 का नोटिस की मियाद समाप्त होने पर बमुकाम बोरदा, तहसील बारां में पैदा हुआ। वादी द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

24/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

वाद पर तनकीवार सुनवाई करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया कि वादी द्वारा सेटलमेन्ट की गलती को दुरूस्त कराने के लिये धारा 136 एल. आर. एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत ना करके धारा 88, 188 आर. टी. एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य ना होने से खारिज योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड में विवादित खसरा नम्बर हाल 497 रकबा 2.38 है0 साबिक 246 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा व हाल खसरा नम्बर 487 रकबा 0.10 है0 साबिक 297 रकबा 0.02 बीघा में हाल साबिक क्षेत्रफल में 0.73 है0 की कमी होने के कारण उसकी पूर्ति खसरा नम्बर 499 रकबा 1.21 है0 से चाही गई है। सेटलमेन्ट पूर्व के नक्शे के अवलोकन से यह पता चलता है कि अपीलार्थी की भूमि के आस पास अन्य खातेदारान की भूमियां भी है। अपीलार्थी द्वारा उनके हाल साबिक खसरा नम्बरान की नकल प्रस्तुत नहीं की है, ना ही उन्हें पक्षकार बनाया है।

विशेष कथन :– वादी द्वारा केवल मात्र सरकारी भूमि पर कब्जे के आधार पर दावा प्रस्तुत किया गया है। मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा नम्बरान का क्षेत्रफल दर्ज नहीं है। अपील में सरपंच ग्राम पंचायत तुलसां को क्यों पक्षकार बनाया स्पष्ट नहीं है। राजस्व खाते की भूमि में से कमी रकबे की पूर्ति चाही गई है। भूमि सरकारी होने के कारण भूमिधारी तहसीलदार बारां को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि तहसीलदार बारां आवश्यक पक्षकार है। अपीलार्थी द्वारा सेटलमेन्ट की गलती को दुरूस्त कराने के लिये एल.आर.एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत ना करके आर.टी.एक्ट की धारा 88, 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रस्तुत अपील नियमानुसार ना होने व आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में खारिज योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का फैसला बहाल रखा जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में वाद दिनांक 29.03.2012 को दर्ज किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 27.07.2017 की आदेशिका के अनुसार तनकी कायम की गयी। तत्पश्चात् पत्रावली में साक्ष्य प्राप्त की गई। दिनांक 09.09.2021 को आदेशिका में लिखा गया है कि ''वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।''

निर्णय दिनांक 09.09.2021 के अंतिम पैरा में लिखा गया है कि ''बहस अभिभाषक वादी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम बोरदा सम्वत 2034–2037 खाता संख्या 146 के अनुसार मांगीलाल वल्द किशनलाल, जाति कुम्हार के खातेदारी में 19.19 बीघा दर्ज होना पाया जाता है। नकल जमाबंदी ग्राम बोरदा सम्वत 2042–2045 खाता संख्या 189 के अनुसार मांगीलाल पुत्र किशनलाल के खातेदारी में 2.48 हेक्टेयर भूमि दर्ज होना पाया जाता है। नकल जमाबंदी ग्राम भैरूपुरा सम्वत 2066–2069 खाता संख्या 52 के अनुसार देवकरण पुत्र नन्दलाल, जाति गूर्जर, निवासी बोरदा के खातेदारी में 2.48 हेक्टेयर भूमि दर्ज होना पाया जाता है। प्रस्तुत रिकार्ड अनुसार वादीगण के खातेदारी में 19.19 बीघा भूमि दर्ज होना पाया जाता है, परन्तु सैटलमेंट विभाग द्वारा वादी के खातेदारी में 2.48 हेक्टेयर भूमि दर्ज कर दी गई थी, 0.72 हेक्टेयर भूमि वादी के खातेदारी में कम दर्ज की गई है, जिसे वादी अपने खाते दर्ज करवाना

24/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

चाहता है। वादी द्वारा सैटलमेंट की गलती को दुरूस्त कराने के लिए धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रिलीफ प्राप्त कर सकता था, परन्तु वादी द्वारा धारा 136 एल.आर.एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करके धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद पत्र प्रस्तुत किया है, जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।"

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में लिखा गया कि वादी द्वारा सैटलमेंट की गलती को दुरूस्त कराने के लिये धारा 136 एल.आर.एक्ट में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रिलीफ प्राप्त कर सकता था परन्तु वादी द्वारा धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद पत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

प्रस्तुत प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में 9 वर्ष 6 माह पश्चात खारिज किया गया। सी.पी.सी. के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वाद दर्ज करते समय यह देखा जाना आवश्यक है कि क्या वह वाद सही धारा में दर्ज किया गया है तथा न्यायालय में चलने योग्य है ? अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 2012 में वाद को दर्ज किया गया। तत्पश्चात दावे तथा जवाबदावे के आधार पर पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं तनकी कायम की जाती है। वाद में दिनांक 27.07.2017 को तनकी कायम करने का उल्लेख है।

विभिन्न माननीय न्यायालय के उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि धारा 136 एल.आर.एक्ट एक संक्षिप्त विचारण प्रकिया है, जबकि धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट में पूर्ण वाद दायर किया जाता है। धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट का दायरा धारा 136 एल.आर.एक्ट से अधिक विस्तृत है तथा यदि सैटलमेंट विभाग द्वारा कोई त्रुटि की गई है तो उसे सुधार हेतु धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट में दावा दायर किया जा सकता है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 9 वर्ष 6 माह तक वाद चलने के पश्चात् मात्र गलत धारा का कथन कर वाद खारिज करना अत्यधिक अन्यायपूर्ण प्रकट होता है। प्रस्तुत प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भी सरासर उल्लंघन हुआ है। 9 वर्ष 6 माह तक वाद चलने के पश्चात् सरसरी तौर पर वाद खारिज करना अत्यधिक त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय को तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था जो नहीं किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध, त्रुटिपूर्ण तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का भी स्पष्ट उल्लंघन होने से खारिज किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.09.2021 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण के आधार पर तनकीवार विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 24.09.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/7/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी ★ कोटा ★